न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं० 2025 /	आदेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 164 / 2025	2025 / 425	28.10.2025	28.10.2025

सुभाषचन्द पुत्र स्व श्री लल्लूराम पुत्र स्व श्री रामकंवार, जाति अहीर, निवासी ग्राम थड़ा, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सीथल, वर्तमान ग्राम पंचायत थड़ा, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा, जरिये सरपंच
2. रमेशचन्द पुत्र श्री प्रभाती लाल
3. संदीप पुत्र श्री बलवन्त, जाति अहीर, निवासी ग्राम थड़ा, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा
4. नीरज अग्रवाल पुत्र श्री विरेंद्र कुमार, जाति महाजन, निवासी पी.49 आशियाना विलेज, भिवाड़ी, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा
5. ममता पत्नी नीरज अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी पी.49 आशियाना विलेज, भिवाड़ी, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा
6. राजेश पत्नी शिवलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम बजीरावाद, जिला गुरुग्राम (हरियाणा)
7. उपपंजीयक, भिवाड़ी, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा

अप्रार्थीगण / रेस्पोन्डेन्टगण

विषय–न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा में विचाराधीन अपील संख्या 3 / 2025 एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 91 / 2025, "सुभाषचन्द आदि बनाम ग्राम पंचायत सीथल वर्तमान ग्राम पंचायत थड़ा आदि" के स्थानांतरण बाबत।

आदेश

प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा में विचाराधीन अपील संख्या 3 / 2025 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91ध्2025 में उसे निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 की पीठासीन अधिकारी से निकटताध्सांठगांठ है, जानबूझकर छोटी–छोटी तिथियाँ नियत की जा रही हैं, तथा प्रार्थी के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि प्रकरण का निस्तारण उसके विरुद्ध प्रभावित ढंग से किया जाएगा। इसी आधार पर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाना उचित है जब अभिलेख पर ऐसे ठोस, प्रत्यक्ष, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ कारण उपलब्ध हों जिनसे यह संतोषजनक रूप से प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है अथवा न्यायहित में प्रकरण का स्थानांतरण अपरिहार्य हो गया है। मात्र आशंका, अनुमान, असंतोष, कार्यवाही के क्रम से उत्पन्न असुविधा, या पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध सामान्य आरोप स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे मुख्यतः आशंकाओं एवं आरोपों पर आधारित हैं। यह अवश्य कहा गया है कि अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 पीठासीन अधिकारी से मिले हुए हैं तथा जानबूझकर छोटी तिथियाँ दी जा रही हैं, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, प्रत्यक्ष या विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी न्यायालय द्वारा अल्प अवधि की तिथि नियत करना या प्रकरण को शीघ्र सुनवाई के लिए रखना, अपने आप में पक्षपात का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचाराधीन प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा के समक्ष विधिपूर्वक लंबित है। यदि कार्यवाही के दौरान कोई अंतरिम आदेश पारित होता है, किसी आवेदन का निस्तारण अपेक्षित समय पर नहीं होता, अथवा कार्यवाही की विधि से कोई पक्ष असंतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में विधि द्वारा प्रदत्त अन्य उपचार उपलब्ध रहते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है कि कोई पक्षकार केवल अपनी आशंका या सुविधा के आधार पर न्यायालय का चयन कर सके।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से यह भी कहा गया है कि उसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा से न्याय की आशा नहीं है। किन्तु न्यायालय के प्रति अविश्वास का सामान्य कथन, जब तक उसे ठोस सामग्री से समर्थित न किया जाए, स्थानांतरण के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात, सांठगांठ अथवा पूर्वाग्रह का आरोप गंभीर प्रकृति का आरोप है, जिसके समर्थन में स्पष्ट एवं विश्वसनीय सामग्री अपेक्षित होती है। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

समस्त प्रार्थना पत्र, वर्णित आधारों एवं उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएँ सामान्य, आरोपात्मक एवं अनुमानाधारित हैं। कोई ऐसा विशेष, ठोस अथवा न्यायोचित कारण सिद्ध नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि अपील संख्या 3/2025 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2025 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा से स्थानांतरण न्यायहित में आवश्यक है।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी/अपीलार्थी स्थानांतरण का औचित्य स्थापित करने में असफल रहा है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी/अपीलार्थी सुभाषचन्द पुत्र स्व. श्री लल्लूराम द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा, विचाराधीन अपील संख्या 3/2025 तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2025 का निस्तारण विधि अनुसार करें।

इस आदेश की प्रति आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 23.4.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

जिला कलेक्टर खैरथल-तिजारा (राज०)